न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर , भोपाल

पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक –
रिव्यू-585/PBR/2011

आनंदराव आ0 श्री बुद्धु सरोदे , आयु – वयस्क ,
निवासी व कृषक – साकिन देवरी तहसील मुलताई जिला बैतूल आवेदक

विरूद्व

01. विरेन्द्र नाथ आ0 श्री गोपीनाथ भार्गव , आयु – वयस्क ,
02. कमलादेवी बेवा गोपीनाथ , आयु – वयस्क ,
03. शशी बेवा नरेन्द्रनाथ भार्गव , आयु – वयस्क ,
04. महेश कुमार व चुन्नीलाल भार्गव , आयु – वयस्क ,
सभी 01 से 04 निवासी – मुलताई जिला बैतूल
05. कामता नाथ आ0 श्री दामोदर नाथ , आयु – वयस्क ,
वैधानिक उत्तराधिकारी 1,आमिर आ0 स्व0 श्री कामता नाथ
आयु लगभग 45 वर्ष एवं 02 मुन्नालाल आ0 स्व0 श्री कामता नाथ
आयु लगभग 50 वर्ष ,दोनो निवासी – पटेल वार्ड मुलताई जिला बैतूल म0 प्र0
06. ओंमकारनाथ आ0 श्री दामोदर नाथ , आयु – वयस्क ,
निवासी – मुलताई जिला बैतूल
07. विश्वेश्वरनाथ आ0 श्री दामोदर नाथ , आयु – वयस्क ,
पता – पुलिस थाने के सामने , मुलताई जिला बैतूल म0 प्र0
सभी निवासी – मुलताई जिला बैतूल अनावेदकगण

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959

महोदय ,

आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कं 468–पी0बी0 आर0 2008 में दिनांक 28. 01. 2011 को पारित आदेश से दुखित एवं असंतुष्ठ होकर यह पुर्नविलोकन याचिका प्रस्तुत की जा रही है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुपूरित आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 585–पीबीआर/2011 **जिला बैतूल**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–05–2016	आवेदक अधिवक्ता को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । अनावेदक शासन की ओर से श्री बी0एन0त्यागी शासकीय अधिवक्ता उपस्थित । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 468–पीबीआर/2008 में पारित आदेश दिनांक 28–01–2011 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । **(मनोज गोयल)** **अध्यक्ष**	